(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील/0303/2019/शिवपुरी/भू.रा. के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11.02.2019 के द्वारा न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 121/अपील/2017—18.

.....

रामकुंवर बाई आदिबासी पत्नी कल्याण
निवासी ग्राम सिघंराई तहसील
कोलारस जिला शिवपुरी म0 प्र0

———अपीलार्थी

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी

———प्रत्यर्थी

श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री राजीव शर्मा, अभिभाषक शासन प्रत्यर्थी

.....

आदेश

(आज दिनांक 02/04/19 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2019 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2—प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7—ख) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण कमांक 29/अ—21(1)/2012—13 पर दज किया गया। अपीलार्थी अपने स्वत्व एवं स्वामित्व के सर्वे कमांक 1423, 1424, 1425, 1426, 1431, 1434, 1436, 1437 कुल किता 8 कुल रकवा 0.69 हैक्टेयर है, उक्त प्रश्नाधीन भूमि ग्राम मोहरा पटवारी हल्का मोहरा राजस्व निरीक्षक मण्डल कोलारस तहसील कोलारस जिला शिवपुरी में स्थित है। उक्त भूमि स्वअर्जित

राजस्व अभिलेख में विक्रय से वर्जित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि इसलिये विक्रय कर रही है कि अपीलार्थी ग्राम सिंघराई में निवास कर रही है और भूमि ग्राम मोहरा में स्थित है जिसके बीच काफी दूरी है। इस कारण वह फसल का सही लाभ नहीं ले पा रही है। कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा बिना जांच कराये आवेदन निरस्त कर दिया गया। जिससे दुखित होकर अपीलार्थी द्वारा आयुक्त ग्वालियर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 121/2017–18/अपील पर दर्ज होकर दिनांक 11.2.19 को कलेक्टर का आदेश दिनांक 22.8.17 स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की इसी से दुखित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश अवैध अनुचित एवं प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में कहा गया है कि अपीलार्थी उक्त प्रश्नाधीन भूमि से निवास स्थान से काफी दूरी पर है जिसकी देख रेख ठीक से नहीं कर पाती और कोई फसल लाभ प्राप्त नहीं कर पाती है। इस विवाद भूमि को विक्रय करना चाहती है। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विक्रय की अनुसंशा की गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार किये बगैर विक्रय की अनुमति का आवेदन पत्र निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अपीलार्थी प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर शेष भूमि को विकसित कर सकेगी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई विचार किये बगैर मनमाना आदेश पारित किया गया है जो निरस्ती योग्य है। अधिवक्ता द्वारा यह भी अपने तर्क में कहा है कि विवादित भूमि के विक्रय का अनुबंध द्वारकी बाई पत्नी मुकेश धाकड़ व भारती पत्नी हरवीर धाकड निवासी मोहरा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी से दिनांक 12.2.13 को किया गया है जिसके मुताबिक अपीलार्थी ने 1,20,000/–रूपये प्राप्त कर लिये है शेष धनराशि विक्रय पत्र के समय देना तय हुआ है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

4–शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि कलेक्टर जिला शिवपुरी का आदेश दिनांक 22.8.17 उचित एवं सही है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह भी सही एवं उचित है। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तगण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा राजस्व अधिकारियों से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया है और उनके द्वारा भूमि विकय करने की अनुसंशा की गई है उसके पश्चात भी अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है। अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन में स्पष्ट लेख किया गया था कि विवादित सर्वे नम्बर 1423, 1424, 1425, 1426, 1431, 1434, 1436, 1437 कुल किता 8 कुल रकवा 0.69 हैक्टेयर गांव से अधिक दूरी होने से देखभाल नहीं हो पाती है इसलिये खेती भी नहीं हो पा रही है। भूमि विकय के बाद विकय से प्राप्त धनराशि का उपयोग खेती के लिये ही करेंगे। इस आधार पर विकय की अनुमति दे देनी चाहिये थी क्यों कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में लेख कर **बताया गया है कि अपीलांट भूमि विकय करने के पश्चात भूमि रकबा 1.00 हैक्टेयर शेष बचेगी। यानी वह भूमिहीन नहीं होगा अर्थात उसकी आजीविका का साधन शेष है। अपीलांट के अधिवक्ता के तर्कानुसार आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है, इसका अर्थ यह हुआ कि अपीलांट की भूमि शासकीय पटट् पर प्राप्त न होकर स्वयं के स्वामित्व की है, और ऐसा भूमिस्वामी अपनी भूमि को विकय करने हेतु स्वतंत्र है, क्यों कि शासन से पटट् पर प्राप्त भूमि का पटट्धारी पटट् की शर्तो का पालन करते हुये 10 वर्ष व्यतीत होने पर भूमिस्वामी बन जाता है, जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।**

6–प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित होता है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पटट् पर प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति संवर्ग के हैं जिसके कारण उन्होंने भूमि विकय की अनुमति मांगी है। मध्य प्रदेश भू–राजस्व

संहिता 1959 की धारा 165 (7–ख) प्रतिबन्धित करती है कि कोई भी शासकीय पटट्ेदार अथवा भूमिस्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि का विकय नहीं करेगा और इसी प्रतिबन्ध के कारण अपीलार्थी ने कलेक्टर जिला शिवपुरी से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विकय की अनुमति मांगी है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी को स्वअर्जित एवं भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विकय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नजर नहीं आती है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस पर विचार न करने में भूल की है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 98/2016–17/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2017 एवं आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का प्रकरण कमांक 121/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 11.02.19 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अपीलार्थी को ग्राम मौहरा की सर्वे कमांक 1423, 1424, 1425, 1426, 1431, 1434, 1436, 1437 कुल किता 8 कुल रकवा 0.69 हैक्टेयर तहसील कोलारस जिला शिवपुरी में स्थित कृषि भूमि की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि केता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा। उप पंजीयक कोलारस को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैकिंग से अपीलार्थी के खाते में जमा की जावेगी। परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर